ESTD. 1931

FIELD CLUB

(ONLY FOR MEMBERS)

FATEHPURA, UDAIPUR - 313 001 (RAJ.)

Tel.: 0294 - 2416199, 2560105, Fax : 0294 - 2421312

Website : www.fieldclubindia.com, E-mail : fieldclubindia@fieldclubindia.com

वार्षिक आमसभा दिनांक 30 सितम्बर 2018

दिनांक 30 सितम्बर, रविवार को शाम 5 बजे वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित की गई, प्रारम्भ में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण आधे घंटे के लिए मुल्तवी की गई, तत्पश्चात सायं 5.30 बजे वार्षिक आमसभा 132 सदस्यों के हस्ताक्षरित उपस्थिति में उपाध्यक्ष व चेयरमेन श्री उमेश मनवानी की अध्यक्षता में प्रारम्भ की गई। उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी ने समस्त सदस्यों का स्वागत व अभिवादन किया।

Agenda 1 : To approve the minutes of the EOGM held on 8th October, 2017

मानद् सचिव श्री यशवन्त आँचलिया ने सदस्यों का अभिवादन करते हुए मीटिंग प्रारम्भ करते हुए एजेन्डा का प्रथम बिन्दु – पिछली आमसभा के मिनिट्स अनुमोदन करने के लिए सदस्यों से सहमति मांगी जिस पर श्री तनवीर सिंह कृष्णावत ने अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए मिनिट्स में कुछ बातें लिखी नहीं होना बताया। मानद् सचिव श्री यशवन्त आँचलिया ने बताया कि गत वर्ष जिन बिन्दुओं की बात आप द्वारा की जा रही है वो पिछली असाधारण आमसभा दिनांक 08/10/2017 को ना होकर उससे पिछली वार्षिक आमसभा दिनांक 27/8/2017 में उन बिन्दुओं की चर्चा हुई थी एवं विगत असाधारण आमसभा में तत्कालीन सचिव श्री टीनू मान्डावत द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि उनके द्वारा उन मिनिट्स को शुद्धिकरण कर वापिस भेजा जायेगा। सचिव श्री यशवन्त आंचलिया ने बताया कि उस आम सभा के मिनिट्स शुद्धिकरण हेतु तत्कालीन सचिव श्री टीनू मान्डावत को दो तीन बार फोन कर चुका हूँ परन्तु उन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं साथ ही उस सभा की कोई रिकॉर्डिंग क्लब में उपलब्ध नहीं है जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री टीनू मान्डावत को भी लगातार अनुरोध करने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में क्या करें ? श्री तनवीर सिंह कृष्णावत द्वारा यह कहा गया कि यदि उस सभा की रिकॉर्डिंग की सीडी उपलब्ध नहीं है तो यह जिम्मेदारी सदन की ना होकर क्लब मेनेजमेन्ट की है, फिर भी यदि वो उपलब्ध नहीं है तो भी सदस्यों को याद है कि क्या बिन्दु थे या फिर कहीं कोई लिखता भी होगा, उन आधार पर इस सभा के मिनिट्स में उन बिन्दुओं को जोड़ कर उन्हें पारित किए जाए।

मानद् सचिव श्री यशवन्त आँचलिया ने सभी सदस्यों को आमंत्रित किया कि सदस्यों द्वारा जो भी बिन्दु जो उस समय पारित किये गये थे और मिनिट्स में उन का इंद्राज नही है पर आज चर्चा कर उन्हें आज मीटिंग में पारित कर लेवें।

श्री दिलीप सिंह राठौड़ द्वारा कि उस सीडी की जवाबदारी मंच पर बैठे पदाधिकारियों की ना होकर क्लब स्टाफ की है और स्टाफ जवाबदेह होना चाहिए। मानद् सचिव श्री यशवन्त आँचलिया द्वारा श्री करण सिंह चौहान से पूछे जाने पर उन द्वारा इस पर अनभिज्ञता बताई गई। श्रीमान सूरवीर सिंह द्वारा राय दी गई कि तत्कालीन सचिव के नाम पत्र जारी कर उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। श्रीमान

सत्येन्द्रपाल सिंह छाबड़ा द्वारा ये कहा गया कि क्लब के वार्षिक आमसभा के मिनिट्स में फेरबदल की गई और फिर सीडी भी गायब है, इसके लिए किसी ना किसी की जवाबदेही बनती है। उन द्वारा ये बताया गया कि एक मुदद्ा ये था कि बाउंड्री वाल का खर्चा तत्कालीन सचिव श्री टीनू मान्डावत के नाम डेबिट किया जाए। मानद् सचिव श्री यशवन्त आँचलिया द्वारा ये बताया गया कि मिनिट्स में हवाला नहीं दिया गया था, इसे आज की मिटिंग में राय मशविरा कर तय कर लें, सदन के निर्णय की पालना की जाएगी। श्री मनवीर सिंह कृष्णावत द्वारा ये कहा गया कि मिनिट में फेरबदल करना, सीडी गायब होना कोई छोटे मुद्दे नहीं है, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए चाहे, जो भी जिम्मेदार हो इसके लिए उसके खिलाफ और साथ ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो एवं जो भी तय करना है आज कर लेवें बजाय कि अगली आमसभा के इन्तजार करें। श्रीमान दिलीप सिंह राठौड़ द्वारा सुझाव दिया गया कि अगर सीडी गायब है तो आप इसकी **FIR** दर्ज करवाये, कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। श्री मनवीर सिंह कृष्णावत द्वारा भी **FIR** दर्ज कराने हेतु सुझाव दिया। श्री यशवन्त आँचलिया द्वारा श्री करण सिंह चौहान को आमसभा के दौरान लिखे हुए ड्राफ्ट लाने हेतु निर्देशित किया।

सदस्यों द्वारा पुरजोर तरीके से सुझाव दिया गया कि बाउंडरी का खर्चा तत्कालीन सचिव श्री टीनू माण्डावत के नाम पर डेबिट किया जाए एवं उन से यह वसूला जाये।

श्री जे.पी. शर्मा द्वारा ये कहा गया कि एक तरफा निर्णय न कर समस्त कार्यकारिणी सदस्यों को बुलाकर बात की जानी चाहिए। इस पर श्री तनवीर सिंह कृष्णावत द्वारा ये कहा गया कि ये निर्णय आम सभा में पारित हुआ है और सदन सर्वोपरि होता है, तो इस पर और कोई चर्चा न करे और उन्हें डेबिट दिया जाना चाहिए।

तत्पश्चात सभी सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से ये तय किया गया कि बाउंड्रीवाल का खर्चा तत्कालीन सचिव टीनू माण्डावत के नाम डेबिट कर वसूल किया जाए।

सदस्यों द्वारा पूर्व आमसभा के मिनिट्स पारित किए गये।

Agenda 2 : To receive and adopt the Audited Accounts of Field Club for the year ended 31st March 2018;

श्री सत्येन्द्र पाल सिंह छाबड़ा द्वारा ये कहा गया कि मैं भी 4 साल क्लब का सचिव रहा हूं पर पहली बार 1.86 करोड़ का नुकसान दर्शाया गया है, ऐसा क्या हो गया।

उन्होने वर्तमान कार्यकारिणी की प्रशंसा करते हुए कहा इन द्वारा सदस्यों के द्वारा उनके भुगतान ना किए जाने के फलस्वरूप सदस्यों को निलम्बित किया है कुल 22 सदस्यों से मात्र 5.00 लाख वसूल करने के लिए आप द्वारा इन्हें निलम्बित किया गया, परन्तु 1.86 करोड़ के नुकसान पर कार्यकारिणी चुप है।

श्री मनवीर सिंह कृष्णावत द्वारा कहा गया कि शराब बिक्री से हम लगभग गत 10 वर्षो से 30% के आस पास का मुनाफा लेते रहे है जो कि तत्कालीन सचिव के कार्यकाल 2016–17 में भी 29% दर्शाया गया, परन्तु गत वर्ष 2017–2018 में विक्रय राशि 25% बढ़ जाने के बावजूद भी मुनाफा मात्र 11% के आसपास ही दिखाया गया। उन द्वारा ये ध्यान दिलाया गया कि 2.50 करोड़ के सेल पर भी मुनाफा मात्र 27 लाख दिखाया गया है जबकि पहले ट्रेड के हिसाब से 75 लाख मुनाफा होना चाहिए जिस पर ध्यान

दिया जाना आवश्यक है कि ये 50 लाख की गलती कहां हुई है।

उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी ने बताया कि ये आंकड़े पिछली कार्यकारिणी के कार्यकाल के हैं एवं हमारे द्वारा पिछले वर्ष के सचिव द्वारा किए गए लेखा जोखा के आंकड़े एकत्रित कर आपके सम्मुख प्रस्तुत किए गये है।

कोषाध्यक्ष श्री कर्तव्य शुक्ला द्वारा बताया गया कि 1.86 करोड़ के नुकसान में 63 लाख डेप्रिसिएशन है, उसको हटाने के पश्चात् 1.22 करोड़ का नुकसान है एवं उनमें से 59.70 लाख नगरीय विकास शुल्क का भुगतान किया गया है एवं ये कर पिछले वर्षों से सम्बन्धित है। साथ ही 2016–17 के लगभग 60 लाख के खर्चे उन द्वारा उस वित्तीय वर्ष में दर्शाए नहीं गए थे और 2017–2018 में दर्शाए गए है। इन 60 लाख के खर्चा उस सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में क्यों नहीं दिखाए थे, इस पर प्रकाश डालना मेरे लिए सम्भव नहीं है। शराब के मुनाफे पर उन द्वारा बताया गया कि क्लब के मासिक सेवन के आधार पर कम्पनियां यह पैसा आफर करती है एवं क्लब द्वारा जो भी तय किया गया या डेबिट किया। 31 मार्च, 2018 को समस्त कम्पनियों द्वारा पुष्टीकरण लेने पर उन द्वारा दिया जाने वाला पैसा बेलेन्स शीट में दर्शाया गया है। श्री जे.पी. शर्मा द्वारा यह आपत्ति की गई कि आपने मुनाफा इस साल ज्यादा दिखाने के कारण पिछले साल में कम दिखाया गया है, इस पर कोषाध्यक्ष श्री कर्तव्य शुक्ला द्वारा बताया गया कि सारे पुष्टीकरण मेल पर लिए गए है और तत्कालीन सचिव व कोषाध्यक्ष को भी भेजे गए है। श्री सत्येन्द्र पाल सिंह छाबड़ा द्वारा ये कहा गया कि ये प्रोसेस पिदले 8–10 वर्षो में है और हर बार मुनाफा 30% के आसपास रहता है फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि मुनाफा 10–11% पर रह गया। इससे कुल मिलाकर क्लब को लगभग 50 लाख का नुकसान हो रहा है। श्री कर्तव्य शुक्ला के यह कहने पर सदस्यों को शराब सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाने और डेबिट नोट के गलत पैसे लिखने के कारण से ये मुनाफा कम हुआ है, तत्पश्चाात् श्रीमान तनवीर सिंह कृष्णावत द्वारा एक कमेटी गठित किए जाने का सुझाव दिया जिसे सदन में सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया कि 7 को सदस्य जोड़ कर इस की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द कमेटी का गठन कर जांच की जाए। श्री गजेन्द्र सोमानी द्वारा इन कम्पनियों से पैसा वसूल करने बाबत् सुझाव दिया जो कि डेबिट किया था तत्कालीन कार्यकारिणी द्वारा, उस पैसे को उन कम्पनियों से वसूल किया जावें जिस पर उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी द्वारा बताया गया कि हर कम्पनी को मेल भेज कर/बुलवा कर बात की गई है, वास्तविकता में जो पैसा डेबिट किया गया है, कम्पनियों द्वारा ऐसी कोई स्कीम प्रस्तावित नहीं थी। उन द्वारा कोई भी लिखित कन्फरमेशन नहीं दी गई है और इस बाबत् तत्कालीन सचिव और कोषाध्यक्ष को भी सूचना दी गई परन्तु कोई विशेष सहयोग नहीं मिला। श्री उमेश मनवानी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष हमारे द्वारा जो भी स्कीम तय की जा रही है, सब मेल पर कन्फरमेशन लेकर ही मात्र खरीद रहे है। श्री गजेन्द्र सोमानी व श्री जे.पी. शर्मा द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जिस कम्पनी में फर्क आया, उस कम्पनी से माल खरीदना बन्द कर देवें। इस पर उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी ने बताया कि यह फर्क एक कम्पनी में न होकर हर कम्पनी में है। मानद् सचिव श्री यशवन्त आंचलिया ने कहा कि तत्कालीन सचिव की थोड़ी से गणित की कमी रही, स्कीम ली 30 पेटी पर, उठाई 25 पेटी, नुकसान हुआ 50,000/–। उन्होंने बताया कि एक कम्पनी में 40 पेटी पर 4000 प्रति पेटी स्कीम भी, उठाई 38 पेटी अब स्कीम मिली 2600 प्रति पेटी, नुकसान हुआ 61200 रुपये।

श्री संजय जैन द्वारा ये पूछा गया कि क्लब बेलेन्स शीट में इंश्योरेंस का खर्चा नहीं है, क्या क्लब का इंश्योरेंस नहीं है। इस पर यशवन्त आँचलिया द्वारा बताया गया कि पिदले साल में नहीं कराया था, पर इस साल करा लिया है। श्री संजय जैन द्वारा ये पूछा गया कि क्लब फंक्शन में 2016–17 में 20 लाख,

2017–18 में 50 लाख कैसे खर्च किये गए। CA श्री संजय जैन द्वारा यह कहा गया कि डेप्रिसिएशन 72 लाख से 64 लाख हुआ है, मतलब नुकसान और ज्यादा हुआ है मुनाफा और बढ़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पहली बार इतना बड़ा नुकसान की बेलेनस शीट पहली बार बनी है। मानद् सचिव यशवंत आँचलिया द्वारा बताया गया कि पूर्व कार्यकारिणी द्वारा 2016–17 के खर्चे 2017–18 में दिखाए गये है।

CA श्री संजय जैन ने कहा कि P&L A/c स्टेटमेन्ट ना बनकर Income & expenditure A/C बनना चाहिए। कोषाध्यक्ष श्री कर्तव्य शुक्ला ने कहा कि यह प्रिंटीग की गलती है जिसे हम सुधार लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पेज नम्बर 10 पर रिटायरमेन्ट पर 47 लाख दिए और नए सदस्य से 1,19,50,000 लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि नए सदस्य को सदस्यता शुल्क व रिटायरमेन्ट की संख्या अलग से दिखाई जानी चाहिए जिससे सदस्य नए जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या से वाकिफ हों।

नए जुड़ने वाले साधारण सदस्य और आश्रित से बनने वाले साधारण सदस्य बनने वाले सदस्यों की संख्या अलग से दिखाई जानी चाहिए जिससे वित्तीय लेखे जोखे से मिलान किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसा सुनने में आता है कि बिना पैसे सदस्य बनाए जा रहे है। कोषाध्यक्ष श्री कर्तव्य शुक्ला ने कहा कि पिछले वर्ष का पता नहीं, पर इस वर्ष में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस पर श्री दिनेश भण्डारी जी ने कहा कि बात पिछले वित्तीय वर्ष की हो रही है और इस पर हस्ताक्षर वर्तमान कोषाध्यक्ष के ही है तो जवाब भी पिछले वर्ष के ही दिए जाएं। श्री संजय जैन ने कहा कि एक बार पुनः निरीक्षण कर लिजिएगा। सदस्यो द्वारा सर्व सहमति से 7 वरिष्ठ/अनुभवी सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर निष्पक्ष जांच कराने का निदेर्शित किया व बकाया मिनिट्स का अनुमोदन किया गया, पिछले वित्तिय वर्ष की बेलेन्सशीट का अनुमोदन किया गया।

Agenda 3 : To approve the Annual Budget for the financial year 2018-19;

श्री गजेन्द्र सोमानी ने Banqut Hall के निर्माण पर 85 लाख का बजट अनुमोदन पर यह आपति दर्ज की कि इन रुपयों से कैसे बन पाएगा। उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी ने बताया कहा कि अस्थायी निर्माण में बनाया जाएगा। श्री फारुख कूरेशी ने कहा कि क्लब को शादी का स्थान नहीं बनाना चाहिए, क्लब को क्लब रहने दीजिए। श्री तनवीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि सदस्यों कि संख्या को देखते हुए हॉल बनाया जाना चाहिए, और पैसे हेतु इसे किसी निज़ी व्यक्ति के साथ मिलकर प्रोफिट शेयरिंग मोडल में भी बनाया जा सकता है साथ ही रुम की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। सभी सदस्यो द्वारा सर्व सहमति से Banqut Hall निर्माण की प्रस्तावित लागत को मंजूर किया गया।

CA श्री संजय चंडालिया ने कहा कि पिछले वर्षो से हम बजट देख रहे है जिसकी पालना नहीं होती है। आपने कहा है कि आप 61 लाख का सकल मुनाफा लाएंगे और मुझ इस बार सम्पूर्ण कार्यकारिणी से आश्वासन चाहिए कि इस बार छलावा नहीं होगा सदस्यों से। उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी ने कहा कि कमेटी का चेयरमेन होने के नाते सचिव, कोषाध्यक्ष व सम्पूर्ण कार्यकारिणी की तरफ से मैं सिर्फ आश्वासन नहीं वादा करता हूं कि 61 लाख से उपर का केश प्रोफिट लाएंगे। CA श्री संजय जैन ने कहा कि लगभग 6 माह बीत चुके है, ट्रेंड आपके सामने होंगे और पिछली कार्यकारिणी और आपकी गणित ज्ञान में काफी फर्क है और मुझे और सदन को आपसे वादा चाहिए। मानद सचिव श्री यशवंत आँचलिया ने उनसे वह सदन से कहा कि आपकी अपेक्षा पर खरा उतरेंगे और 61 लाख से ऊपर का कैश प्रोफिट करेंगे।

समस्त सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से बजट मंजूर किया।

Agenda 4 : To appoint the Statuory Auditors upto the conclusion of next Annual General Meeting and fix their remunerations;

समस्त सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से पिछले ऑडिटर व विगत वर्ष में दिये जाने वाले पारिश्रमिक को इस साल हेतू भी मंजूर किया गया।

Agenda 5 : Any other matter that may be taken-up with the permission of Chairman of the Meeting.

श्री मनवीर सिंह कृष्णावत द्वारा यह सुझाव दिया गया कि आश्रित (डिपेन्डेट) को अतिथि लाने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, जिसे सदन में उपलब्ध सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से मंजूर कर दिया गया।

श्री मनवीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रति वर्ष 10% बढ़ा रहा है जिससे सदस्यों पर भार बढ़ रहा है। मानद सचिव यशवंत आंचलिया ने बताया कि तनख्वाह, लाईट बिल सभी में 10% कर इज़ाफा हो रहा प्रति वर्ष, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो क्लब में पूर्ति कैसे होगी। अन्त मे इस सुझाव को अगली वार्षिक आम सभा तक स्थागित किया गया।

श्री तनवीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि किसी सदस्य का आकस्मिक स्वर्गवास होने पर उनकी पत्नी को 25 वर्ष की सदस्यता न होने पर भी उन्हें रिटार्यमेंट की सुविधा दी जानी चाहिये जिसे सदन में उपलब्ध सभी सदस्यों द्वारा मंजूर किया गया।

श्री राजीव कनेरिया द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि क्लब की कार्यकारिणी हेतु न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित की जानी चाहिये जिसके तहत, उपाध्यक्ष हेतु 50 वर्ष, मानद सचिव हेतु 45 वर्ष, कार्यकारिणी सदस्य हेतु 35 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिये जिसे सदन में उपलब्ध सभी सदस्यों द्वारा मंजूर किया गया।

डॉ. सौरव सिंह द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा अनगिनत बोर्ड, होड़िग लगाए जाते है इस हेतु प्रति प्रत्याशी 200–250 स्कायर फिट की अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिये जिसे सदन में उपलब्ध सभी सदस्यों द्वारा मंजूर किया गया।

उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा अलग–अलग पार्टी दी जाती हैं, इसे क्लब स्तर पर की जाए। दो पार्टियां हो जिसमें सचिव पद के दावेदारों द्वारा 40%, उपाध्यक्ष पद के दावेदारों द्वारा 20%, कोषाध्यक्ष उम्मीदवारों से 10% व कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा 30% वहन किया जाए व हर प्रत्याशी को 10 मिनिट बोलने का मौका दिया जाए। उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी ने बताया कि यह सुझाव श्री दिलीप सिंह राठौड़ द्वारा भी मौखिक रूप से दिया गया था। श्री राकेश चोर्डिया ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि इसे लागू करने में काबिल व्यक्ति जो पैसे से सक्षम ना हो तो वो आगे नहीं आ पाएगा। मानद् सचिव श्री यशवन्त आंचलिया ने कहा कि हमें लागू करने से उल्टा खर्च में कमी आएगी। श्री बलविन्दर सिंह होडा ने बताया कि जयपुर क्लब व अन्य भी बहुत से क्लब में इसे क्रियान्वित किया जा चुका है जिसमें पार्टिया बाहर ना होकर क्लब के अन्दर ही होगी व समस्त सदस्यों को आमन्त्रित किया जाता है ना कि कोई ग्रुप विशेष। उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी ने कहा कि पार्टी के अलावा 10 मिनिट माईक पर प्रत्याशी क्लब सदस्यों को अपनी रूपरेखा के बारे में अवगत करा पाएगा। श्री राकेश चोर्डिया ने कहा कि आप जयपुर क्लब का उदाहरण दे रहे हो तो पहले अपने क्लब में फैसेलिटी उन क्लब के बराबर क्लब में सुविधाएँ दीजिए, उनके बराबर सेवाएं दीजिए फिर ही उनके

कायदे कानून लागू कीजिए।

डॉ दीपान्कर चक्रवती ने कहा कि चुनाव में इस तरह की प्रक्रिया आपने एक बार लागू किया था पर सदस्यों ने इसमें अपना रुझान नहीं दिखाया था और मात्र 30–40 सदस्य ही आए थे, तो जैसा चल रहा वैसा ही चलने दीजिए। उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी ने बताया कि जयपुर और दूसरे क्लबों की तुलना में हम कहीं भी कम नहीं हैं और सेवाएं भी सन्तुष्टिजनक दी जा रही है।

श्री जयमल सिंह राठौड़ द्वारा यह आश्चर्य जताया गया कि क्लब द्वारा सेवाएं सन्तुष्टिजनक नहीं दी जा रही हैं और यह बात भी जो कर रहें है वो पूर्व में पोस्ट पर रहे पदाधिकारी रहे हैं तो हमने उन्हें मौका दिया था तो स्तर सुधारने का तो पूरा मौका था उनके पास।

श्री राकेश चोरडिया ने कहा कि हर चुना हुआ पदाधिकारी अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है, और हमने भी दिया और निरन्तर सुधार के लिए सभी सदस्यों का योगदान जरूरी होता है।

श्री दीपेश कोठारी ने कहा कि अगर यह लोकतान्त्रिक प्लेटफार्म मिलता है, समस्त आय क्लब में स्थानान्तरित होगी, समस्त प्रत्याशियों को घर–घर जाकर सम्पर्क करने की जगह एक ही प्लेटफार्म पर व्यक्त कर पाएगा तो उसे लागू करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

श्री दिनेश भण्डारी ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी के ऊपर हम चुनाव लड़ने हेतु वित्तीय भार देना संविधान के खिलाफ होगा। मानद सचिव श्री यशवन्त आन्चलिया ने कहा कि सभी की सहमति ना होने के कारण इसे स्थगित किया जाता है।

श्री दीपेश कोठारी ने सुझाव दिया कि अभी रिटायरमेन्ट या अनुंवाशिक हस्तान्तरण (Hereditary Transfer) में संविधान के अनुसार 25 वर्षो की सदस्यता अनिवार्य है जिसमें सुधार कर 25 वर्षो की सदस्यता अनिवार्य है जिसमें सुधार कर 25 वर्ष की सदस्यता या सदस्य की उम्र 65 वर्ष जो भी पहले हो, लागू किया जाना चाहिए।

श्री चेतन लुणदिया ने कहा कि इसमें 25 वर्षो की सदस्यता रखी जानी चाहिए। उम्र के साथ इसके दुष्परिणाम आएंगे और क्लब पर वित्तीय भार भी अतिरिक्त आएगा।

श्री दीपेश कोठारी द्वारा यह कहा गया कि अगर सदस्य 65 वर्ष की आयु में क्लब आना जाना नहीं चाहते और अपनी सदस्यता अपनी पुत्र पुत्री को देना चाहते है तो क्लब को तो नियमित रूप से आय मिलना प्रारंभ होगी।

श्री दीपाकर चक्रवती ने भी विरोध व्यक्त किया। श्री दिलीप सिंह राठौड़ ने कहा कि क्लब में लोग मनोरंजन के लिए आते है और पैसा वापिस मांगना ही गलत है। 25 वर्ष की सदस्यता अनिवार्य होनी चाहिए। श्री दिलीप सिंह राठौड द्वारा यह कहा गया कि अनुंवाशिक हस्तान्तरण (Hereditary Transfer) की प्रथा को ही बन्द किया जाना चाहिए। पूर्व में सदस्यता हेतु परिवार के साथ बुला कर इन्टरव्यू किया जाता था जिस प्रथा को ही आप सभी ने विगत वर्षो में खत्म कर दिया गया है।

मानद सचिव श्री यशवन्त आंचलिया ने बताया कि श्री दीपेश कोठारी द्वारा सुझाव किन्ही सदस्य के हित में दिया जा रहा है। जिसमें दादा के नाम की सदस्यता थी जो उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके पुत्र

को हस्तान्तरित की गई और अब वो अपने पुत्र को हस्तान्तरित करना चाह रहे है।

श्री तनवीर सिंह द्वारा बताया गया कि 25 वर्षो का पूर्व में तय किया जा चुका है तो बार–बार चर्चा कर सदन का समय का क्यों दुरूपयोग किया जा रहा है। साथ ही अनुंवाशिक हस्तान्तरण (Hereditary Transfer) का फायदा सदस्य एक बार ही उठा सकता है बार–बार नहीं। अतः इसे खारिज कर दिया जाए। सदन में उपलब्ध सभी सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव नामंजूर किया गया।

श्री रमेश खटट्र द्वारा निवेदन किया गया कि उनकी बिटिया जो कि उन पर आश्रित है के बाहर होने से उम्र सीमा में कुछ माह अधिक हो गया है अतः उसे साधारण सदस्यता हेतु मंजूरी दी जावें।

श्री निशान्त नाहर द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी एक बार सदन द्वारा मंजूरी दी गयी थी और 10,000 रुपये पेनाल्टी ली गई थी, इसे आप कार्यकारिणी के साथ मिलकर तय करें। उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी ने कहा कि 28 वर्ष से पार सदस्यता प्रदान करना सविधान के अनुसार देय नहीं है, सिर्फ सदन ही अनुमति दे सकता है। पेनेल्टी भी सदन को ही तय करने का अधिकार है।

श्री तनवीर सिंह कृष्णावत ने सुझाव दिया कि अगर कोई छोटा–मोटा समय निकल गया है और परिवार ही है तो आप इस पर निर्णय ले लें। 10,000 रूपए पहले भी लिए गए थे, आप कार्यकारिणी में इसका फैसला कर लेवें। जिसे सदन में उपलब्ध सभी सदस्यों द्वारा मंजूर किया गया।

श्री तनवीर सिंह कृष्णावत ने सुझाव दिया कि आश्रित (डिपेन्डेट) से साधारण सदस्यता की उम्र सीमा 28 वर्ष है इसे 25 वर्ष कर दिया जाना चाहिए।

श्री हेमन्त श्रीमाली द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बच्चें की उम्र 18 वर्ष होते ही डीम्ड सदस्य बन जाए और जो पैसे जमा नहीं कराए उसे हटा देवें।

सदन मे उपलब्ध सभी सदस्यों द्वारा उम्र सीमा का 25 वर्ष सर्व सहमति से मंजूर किये जाने के पश्चात् मानद सचिव श्री यशवन्त आंचलिया द्वारा बताया गया की यह बदलाव 1 अप्रेल 2019 से लागू होगा।

मानद सचिव श्री यशवन्त आंचलिया द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का मार्गदर्शन मांगा जिसमें पिछले कार्यकाल के दौरान श्रीमान राजवन्त सिंह भुल्लर को सदस्यता का कार्ड दे, उनसे वार्षिक सदस्यता शुल्क को भी जमा किया परन्तु उनका सदस्यता क्रमांक क्लब रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है जिस पर श्री भुल्लर द्वारा क्लब को लगातार कानूनी नोटिस दिए जा रहे है। उन द्वारा यह उल्लेखित किया गया कि मेरा सदस्यता क्रमांक 3662 तत्कालीन सचिव द्वारा प्रदान किया गया तथा मेरे द्वारा वार्षिक शुल्क भी क्लब में जमा करवाया गया था जिसकी प्रतिलिपि आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दी गई है। कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता हेतु दी जाने वाले शुल्क के बारे में पूछे जाने पर उन द्वारा लिखित नोटिस में सूचना दी गयी कि सदस्यता शुल्क 5,90,000 नकद तत्कालीन सचिव श्री टीनू माण्डावत को क्लब ऑफिस में नकद दिए गए। और अब इस वर्ष जब उनद्वारा अपना वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा कराने बाबत क्लब ऑफिस जाने पर जानकारी मिली की उनकी सदस्यता का रिकार्ड क्लब में उपलब्ध नही है उन द्वारा यह कहा गया कि ये आप सचिव के क्षेत्राधिकार में है अतः आप क्लब द्वारा तत्कालीन सचिव को नोटिस जारी कर जानकारी भेजे तथा मुझ से सदस्यता शुल्क जमा कराने का आदेश फरमावे। और यदि आपके पास सदस्यता क्रमांक 3662 सम्बन्धित रिकार्ड नहीं है तो आप द्वारा तत्कालीन सचिव टीनू माण्डावत से जानकारी की जानी चाहिए अन्यथा मुझे अमानत में खयानत के लिए

न्यायालय की शरण लेनी होगी एवं इसके लिए आप पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।

उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी द्वारा बताया गया की श्रीमान् भुल्लर द्वारा एक दूसरे पत्र के माध्यम से इस वार्षिक आमसभा में आकर अपनी पक्ष रखने का मौका देने का भी अनुरोध किया परन्तु सदन की गरिमा को देखते हुए अनुमति नहीं दी गयी परन्तु जिन सदस्य के सम्मुख नकद राशि दी गयी वो सदस्य यहां उपलब्ध है।

मानद सचिव श्री यशवंत आंचलिया द्वारा सदन में 5,90,000/– नकद दिए जाने बाबत पूछे जाने पर श्री कपिल श्रीमाली द्वारा यह बताया गया कि मेरे सम्मुख श्री भुल्लर द्वारा टीनू को दिए गए व कहा गया कि रसीद बाद में दे दी जाएगी।

श्री जे. पी. शर्मा ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि वार्षिक सदस्यता शुल्क लिए जाने के पीछे सदस्यता होती है या बिना सदस्यता क्रमांक के सदस्यता शुल्क लिया गया था।

श्री गजेन्द्र सोमानी ने कहा कि पहले जांच कराई जाए। श्री बलविंन्दर सिंह होडा ने कहा कि जिस के सामने पैसे दिए गए थे वो उपलब्ध है, किसने उनकी सदस्यता फार्म प्रस्तावित किया था वो यहां उपलब्ध है, वार्षिक शुल्क चेक से लिया गया, उन्होंने यह भी बताया कि मई माह में वार्षिक सदस्यता शुल्क जो उन्होंने जमा करवाया था, वो मार्च महीने में मेरे एकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।

श्री मनवीर सिंह कृष्णावत द्वारा यह कहा गया कि सर्वप्रथम मिनिट गायब हुए, फिर सीडी और अब 59,0000/– गायब हो गए और आप सभी कार्यकारिणी सदस्य इस पर चुप्पी धारण किए हुए है। श्री मनवीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि उन्हें बुलाया जाए और आमने सामने किया जाए। सदस्यों द्वारा ये भी प्रस्ताव दिया गया कि अगर वो सदन में नहीं आते तो उन्हें निलम्बित किया जाना चाहिए, नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस चस्पा कर उनका प्रवेश रोका जाना चाहिए। सदस्यों द्वारा टीनू को स्पीकर फोन पर फोन का सदन में बुलाने की मांग की गई जिस पर उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी द्वारा तत्कालीन सचिव श्री टीनू माण्डावत को फोन कर उन्हें बताया गया कि सदन में उपलब्ध सदस्य उनसे रूबरू होना चाहते है और आप सभा में आएं। उन द्वारा अपनी व्यस्तता का कारण दे कर आने में असमर्थता जताई। श्री मनवीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि जब तक फैसला ना हो तब तक दोनों सदस्यों का प्रवेश निषेध किया जाए।

श्री चेतन लुणदिया द्वारा ये कहा गया कि किसी सदस्य के ना आने पर निलम्बित किया जाना उचित नहीं होगा, उन्हें समय दिया जाना चाहिए। नोटिस दिया जाए हो सकता है कि कहीं बिजी हो। श्री चेतन लुणदिया द्वारा यह कहा गया कि टीनू जी को आपको अलग से बुलाना चाहिए था आज।

मानद सचिव श्री यशवंत आंचलिया द्वारा बताया गया कि भुल्लर के जवाब के कापी उन्हें भेजी गई है, आज भी उन्हें नोटिस भेजा गया था। मानद सचिव श्री यशवंत आंचलिया ने आगे बताया कि एजीएम का नोटिस सभी को भेजा गया है।

श्री बलविन्दर सिंह होड़ा ने कहा कि क्लब सदस्यता कार्ड प्रदान किया गया है तो मतलब सदस्य बनाया गया होगा और जब तक फैसला न आए तब तक किसी और को रोका जाना कहां तक उचित होगा।

श्री संजय जैन द्वारा यह कहा गया कि उनके पास कोई रसीद नही हैं, मानेंगे तो कल कोई और आएगा

कि मैंने 25 लाख दिए। उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी ने कहा कि किसी और को सदस्यता कार्ड प्रदान नही किया गया ।

श्री गजेन्द्र सोमानी ने कहा कि कार्ड दिया गया है तो भी 5,90,000 की रसीद मांगिए। तकनीकी मेटर है इसे तकनीकी तरीके से सेटल किया जाना चाहिए, दोनों पक्षों को बुला कर सामने बात कर सकते है।

श्री मनवीर सिंह कृष्णावत द्वारा यह कहा गया कि जब भुल्लर के पास वार्षिक शुल्क की रसीद है, सदस्यता क्रमांक 3662 का कार्ड है, आप उन्हें कैसे रोक सकते है। श्री संजय जैन द्वारा पूछा गया कि आज तक कितने लोगों से नकद लिया गया है सदस्यता शुल्क के साथ।

श्री गजेन्द्र सोमानी ने कहा कि उनके पास कोई नकद भुगतान की रसीद है क्या, क्या बिना पेन कार्ड नकद लिया जा सकता है। श्री दिनेश भण्डारी ने पूछा कि क्या सर्विस टेक्स/जीएसटी जमा हुआ, इस पर उपाध्यक्ष श्री उमेश मनवानी ने बताया कि जब राशि क्लब में जमा ही नहीं दिख रही तो सर्विस टैक्स कैसे जमा होगा।

श्री जे.पी. शर्मा द्वारा यह कहा गया कि यदि कार्यकारिणी द्वारा वार्षिक सदस्यता शुल्क लिया है तो वो सदस्य ही होगा। उन्हें सदस्यता क्रमांक प्रदान किया गया, शुल्क किया गया, कार्ड इश्यू किया गया।

श्री तनवीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि बहुत लम्बी चर्चा हो चुकी है और ये सुझाव दिया कि एक कमेटी का गठन कर लिया जाए और निष्पक्ष जांच करा ले। समस्त सदस्यों की सहमति से सदन द्वारा कार्यकारिणी को गत 5 मानद सचिव की कमेटी बनाकर श्री राजवन्त सिंह भुल्लर द्वारा पूर्व सचिव श्री टीनू माण्डावत को रू 5,90,000/– नकद दिए जाने/सदस्यता कार्ड प्रदान किए जाने तत्पश्चात् सदस्य का रिकार्ड क्लब रिकार्ड से हटा दिए जाने व जमा सदस्यता शुल्क को किसी और सदस्य के खाते में बगैर अनुमति के जमा कर दिए जाने बाबत निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश दिया गया ।

श्री राजीव कनेरिया द्वारा प्रस्तावित किया गया कि वार्षिक शुल्क बढ़ाने की जगह सदस्यता शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए जिस पर सर्वसहमति से सदस्यता शुल्क 5.00 लाख की जगह 7 लाख मंजूर किया गया। आश्रित बच्चे जो साधारण सदस्यता ग्रहण करना चाहे, उनके लिए भी बढ़ोतरी लागू होगी यानि की 7.00 लाख का 10 प्रतिशत 70,000 लागू होगा व सरकारी कर अतिरिक्त होंगे साथ ही यह भी तय किया गया कि यह बढ़ोतरी 1 अप्रेल 2019 से लागू होगी।

अन्त में सभी दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

उमेश मनवानी
उपाध्यक्ष

यशवन्त आंचलिया
मानद सचिव